राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम
1.	2620/2024 श्रीकिशन नोगिया	1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर। 3. शासन सचिव, पंचायत राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।	23.08.2024	श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
2.	2621/2024 राजेश कुमार शर्मा			
3.	2622/2024 विजेन्द्र सिंह ढाका			
4.	2623/2024 महेश चन्द ओझा			
5.	2624/2024 राकेश कुमार सिंघल			
6.	2625/2024 खाटूराम नीनामा			
7.	2626/2024 नटवरलाल मेरावत			

आदेश की दिनांक : 28.08.2024

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 2620/2024 श्रीकिशन नोगिया बनाम राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

मामलों की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त समस्त अपीलों पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अधिशाषी अभियंता के पद पर ग्रामीण विकास मुख्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर

में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की नियुक्ति वर्ष 1991 में कनिष्ठ अभियंता के पद पर हुई थी और उसे सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति दी गई। उनका कथन है कि अपीलार्थी को सहायक अभियंता के पद पर रिक्ति वर्ष 2008–09 के विरूद्ध पदोन्नति हेतु विचार किया गया। परंतु 15 वर्ष की सेवा के पश्चात् अपीलार्थी के नाम पर अधिशाषी अभियंता के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया गया और उसे रिक्ति वर्ष 2020–21 के विरूद्ध अधिशाषी अभियंता के पद पर पदोन्नति दी गई। आगामी पदोन्नति अधीक्षण अभियंता के पद पर होनी है और अपीलार्थी उक्त पद के लिये नियमानुसार सभी योग्यतायें रखता है, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिये अपीलार्थी के नाम पर विचार नहीं किया जा रहा है। जबकि वरिष्ठता में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 15 पर अंकित है। अपीलार्थी अनुसूचित जनजाति वर्ग से आता है और उक्त पद के लिये योग्य है, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 13.11.2017 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया एवं उसके संघ द्वारा भी दिनांक 21.09.2020 को तथा अपीलार्थी द्वारा भी अनेकोबार जैसे दिनांक 23.10.2023, 05.04.2024 एवं 03.05.2024 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये, परंतु कोई ठोस निराकरण नहीं किया गया और न ही गठित समिति द्वारा कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और मामला विचाराधीन है। इसलिये नियमों में संशोधन होने पर मामला का निस्तारण होने तक कोई डीपीसी आयोजित नहीं की जा रही। अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रकरण के संबंध में एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 10410/2019 माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसे आदेश दिनांक 01.08.2024 के द्वारा माननीय अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुये प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि गठित समिति द्वारा नियमों में पूर्ण रूप से परीक्षण उपरांत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन के निस्तारण पश्चात् ही डीपीसी आयोजित की जावे और अपीलार्थी के नाम पर रिक्ति वर्ष 2023–24 अथवा 2024–25 के विरूद्ध अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया जावे और समस्त पारिणामिक लाभ दिये जावें।

हमनें अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता को अपीलों की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन अधिशाषी अभियंता के पद पर ग्रामीण विकास मुख्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर में कार्यरत है। अनुलग्नक–1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया, जिसका प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पूर्ण रूप से निस्तारण नहीं किया गया। हम अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति को ध्यान में रखते हुये प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अनुलग्नक–1 को राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन का निस्तारण उपरांत सहायक अभियंता से अधिशाषी अभियंता एवं अधिशाषी अभियंता से अधीक्षण अभियंता की डीपीसी आयोजित की जावे।

अतः उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती हैं।

मूल आदेश अपील संख्या 2620/2024 श्रीकिशन नोगिया बनाम राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य समस्त पत्रावलियों में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य